रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 337] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 1997/ज्येष्ठ 16, 1919
No. 337] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 1997/JYAISTHA 16, 1919

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 1997

का.आ. 431(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) नियम, 1997 है;

(2) ये नियम तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 में,—

(1) प्ररूप 1 के पैरा (iii) में, "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(2) प्ररूप 2 में,—

(क) प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर का उपबंध करने वाली सारणी के विद्यमान पाद-टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित पाद-टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कम-से-कम पचास निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिए"।

(ख) समर्थकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर का उपबंध करने वाली सारणी के विद्यमान पाद-टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित पाद-टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कम-से-कम पचास निर्वाचक समर्थकों के रूप में होने चाहिए"।

(3) प्ररूप 3 में,—

(क) प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर का उपबंध करने वाली सारणी के विद्यमान पाद-टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित पाद-टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कम-से-कम बीस निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिए"।

(ख) समर्थकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर का उपबंध करने वाली सारणी के विद्यमान पाद-टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित पाद-टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कम-से-कम बीस निर्वाचक समर्थकों के रूप में होने चाहिए"।

[सं. एफ 13(1)/97-विधायी II]
पी. एल. सकरवाल, संयुक्त सचिव

मूल नियम का.आ. 305 (अ) तारीख 21 मई 1974 को प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 1997

S.O. 431(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Presidential and Vice-Presidential Elections rules, 1974, namely :

1. (1) These rules may be called the Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Rules, 1997.

 (2) They shall come into force at once.

2. In the Presidential and Vice-Presidential Elections rules, 1974,

 (1) in FORM 1, in paragraph (iii), for the words "rupees two thousand five hundred", the words "rupees fifteen thousand" shall be substituted;

 (2) in FORM 2,—

 (a) for the existing foot-note to the Table providing for particulars of the proposers and their signatures, the following foot-note shall be substituted;

 "There should be at least fifty electors as proposers".

 (b) for the existing foot note to the Table providing for particulars of the seconders and their signatures, the following foot-note shall be substituted;

 "There should be at least fifty electors as seconders".

 (3) in FORM 3,—

 (a) for the existing foot-note to the Table providing for particulars of the proposers and their signatures, the following foot-note shall be substituted;

 "There should be at least twenty electors as proposers".

 (b) for the existing fot-note to the Table providing for particulars of the seconders and their signatures, the following foot-note shall be substituted;

 "There should be at least twenty electors as seconders".

[No. F. 13(1)/97-Leg. II]
P.L. SAKARWAL, Jt. Secy.

Principal rules were published as S.O. 305(E) dated 21st May, 1974

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997